

असाधारण सामान्य बैठक का नोटिस Notice for Extraordinary General Meeting

मुंबई में
मंगलवार, 29 मार्च, 2011 प्रातः 11.00 बजे
TUESDAY, March 29, 2011 at 11.00 a.m.
at Mumbai

प्रधान कार्यालय: 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

निवेशक सेवा प्रभाग: 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Investor Services Division: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

विषय सूची / Contents

	पृष्ठ क्रमांक
सूचना	01
नोट्स	03
व्याख्यात्मक विवरण	04
परोक्षी फार्म	
उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पत्र	

	Page No.
Notice	07
Notes	09
Explanatory Statement	10
Form of Proxy	
Attendance Slip & Entry Pass.....	

नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, दि. 29 मार्च, 2011 को प्रातः 11.00 बजे, **रामा वाटुमल आडिटोरियम**, के.सी. कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020 में निम्नलिखित कारोबार हेतु आयोजित की जाएगी :

विचारार्थ और उचित पाये जाने पर आशोधन सहित या बिना आशोधन के एक विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करने के लिए :

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और समय-समय पर यथा संशोधित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/ या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा, जो इस विषय में अपेक्षित हो, की अनुमति, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और ऐसे निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अध्यक्षीन, जो इस अनुमोदन के संबंध में उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जिसकी सहमति दी गई हो और सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण समझौते के अध्यक्षीन बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जायेगा, जिसमें कोई समिति, जो इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई हो/ गठित की जाए, भी सम्मिलित मानी जायेगी) को एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों द्वारा यह अनुमति प्रदान की जाय एवं की जाती है कि ₹.10/ (रुपये दस मात्र) मूल्य वर्ग के ₹ 3,08,77,100 (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार एक सौ) इक्विटी शेयर ₹ 354.94 प्रति शेयर की दर से सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित किये जाएं तथा सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अध्यक्षीन अधिमान आधार पर भारत सरकार को ₹ 1,096 करोड़ (रुपये एक हजार छियानबे करोड़ मात्र) तक के लिए आवंटित किये जाएं.

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की वास्तविक तिथि **27 फरवरी, 2011** है.

“यह भी संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या उनके निर्गम, आवंटन एवं सूचीकरण के विषय में अनुमोदन/ स्वीकृति के लिए बोर्ड की सहमति से अधिकृत किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव में किये गये या अपेक्षित किसी आशोधन को स्वीकार करने का अधिकार एवं शक्ति बोर्ड के पास होगी.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होने वाले ये इक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा लाभांश जारी करने के संबंध में लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार कोई लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो उसके लिए पात्र होंगे.

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड वे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित हैं तथा इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, समस्या या संदेह के समाधान हेतु अधिकृत है तथा आगे वे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, सभी दस्तावेजों एवं लेखन कार्यों को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने, जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, अपेक्षित या समीचीन हों तथा शेयरधारकों की आगे किसी स्वीकृति या सहमति प्राप्त किये बिना जिसे करना उचित या अपेक्षित हो या यह अधिकार प्रदान करे कि इस प्रस्ताव के अधिकार के तहत शेयरधारकों की सहमति प्राप्त हुआ माना जायेगा।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या ऐसे किसी अधिकारी को, जो उक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए उपयुक्त हो, को प्रत्यायोजित करने हेतु अधिकृत है तथा एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार


(एम. वी. नायर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक : 5 मार्च, 2011

नोट्स:

1. कार्यसूची मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है:

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी भी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए परोक्षी फॉर्म बैंक के शेयर अनुभाग में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 24 मार्च, 2011 को बैंक की कार्य समाप्ति पर या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त होना चाहिए. कृपया नोट करें कि समय-समय पर यथा संशोधित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार बैंक का कोई कर्मचारी या अधिकारी परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें यह पारित किया गया था, सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 24 मार्च, 2011 को बैंक की कार्य समाप्ति पर या उसके पूर्व अवश्य जमा किया जाना चाहिए. यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा परोक्षी फार्म, यदि कोई है, निष्पादित किया गया हो तो प्रभावी होगा; बशर्ते कि उसे उक्त दस्तावेज सहित उपर्युक्त पते पर 24 मार्च, 2011 को बैंक के कार्य समाप्ति पर या उससे पूर्व जमा कर दिया जाए.

कृपया नोट करें कि समय-समय पर यथा संशोधित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार बैंक का कोई कर्मचारी या अधिकारी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

4. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है. शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को भरकर इसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें. शेयरधारक के परोक्षी या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र पर "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2009 के अधीन अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन

ए) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

अपनी आस्तियों में अपेक्षित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उसे संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों के जरिये बीमा एवं आस्ति प्रबंधन के क्षेत्रों में विविधीकरण करने के उद्देश्य से पूंजी विस्तार की आवश्यकता महसूस की गयी। अपेक्षित आस्ति संवृद्धि के समर्थन हेतु आवश्यक पूंजी की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए केवल लाभ का पुनर्निवेश ही पर्याप्त नहीं होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने संबंधी अपने प्रयास के तहत भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। भारत सरकार का ₹ 1,096 करोड़ (रुपये एक हजार छियानबे करोड़) तक के निवेश का प्रस्ताव है, जो भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमानी आवंटन के जरिये किया जाना है। ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन के उपरांत 31 मार्च, 2011 को बैंक 8% टियर I सीआरएआर प्राप्त कर लेगा। संवर्धित पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार एवं बैंक की सामान्य कारोबारी अपेक्षाओं के निधीयन हेतु किया जाएगा।

बी) यह संपूर्ण अधिमानी निर्गम भारत सरकार- बैंक के प्रवर्तक द्वारा अभिदत्त किया जाएगा। निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अनुसार किया जाएगा। निर्गम मूल्य हेतु निर्धारित तिथि 27 फरवरी, 2011 को ध्यान में रखते हुए निर्धारित निर्गम मूल्य लगभग ₹ 354.94 है।

सी) निर्गम से पूर्व एवं निर्गम के उपरांत शेयरधारिता का पैटर्न

क्र.	संवर्ग	निर्गम से पूर्व (यथा 25 फरवरी, 2011)		निर्गम के उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत
ए.	प्रवर्तक की धारिता				
1	प्रवर्तक				
	भारत सरकार	280000000	55.43	310877100	58.00
	विदेशी प्रवर्तक	-	-	-	-
2	समूह के रूप में कार्यरत व्यक्ति	-	-	-	-
	उप जोड़	280000000	55.43	310877100	58.00

क्र.	संवर्ग	निर्गम से पूर्व (यथा 25 फरवरी, 2011)		निर्गम के उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत
बी.	गैर-प्रवर्तक धारिता			225117900	42.00
3	संस्थागत निवेशक				
ए	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	42626479	8.44		
बी	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/ राज्य सरकार संस्थाएं/ गैर-सरकारी संस्थाएं)	18114284	3.59		
सी	विदेशी संस्थागत निवेशक	83414635	16.51		
	उप जोड़	144155398	28.54		
4	अन्य				
ए	निजी कार्पोरेट निकाय	33583138	6.65		
बी	भारत की जनता	47199893	9.34		
सी	एनआरआई/ ओसीबी	179471	0.04		
डी	अन्य कोई	-	-		
	उप जोड़	80962502	16.03		
	कुल योग	505117900	100.00	535995000	100.00

- डी. बैंक का प्रयास इस निर्गम को सेबी आईसीडीआर द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने का है।
- ई. चूंकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार, जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक तथा प्रवर्तक है, के लिए प्रस्तावित है, अतःनियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- एफ. भारत सरकार की निर्गम-पूर्व एवं निर्गम के उपरांत शेयरधारिता निम्नवत होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी में प्रतिशत
निर्गम-पूर्व	28,00,00,000	55.43%
निर्गम के उपरांत	31,08,77,100	58.00%

- जी. बैंक के ईक्विटी शेयर छह महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं तथा तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान तथा सेबी आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 73(1) (एफ) एवं (जी) के अधीन प्रकटन के प्रावधान लागू नहीं हैं.
- एच. भारत सरकार को निर्गमित एवं आवंटित किये जाने वाले सभी शेयर आवंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक लॉक-इन होंगे.
- आई. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र जो यह प्रमाणित करता है कि निर्गम इन विनियमों के अपेक्षाओं के अनुसार है, असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा.
- जे. भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डिमैट फार्म में हैं तथा बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं के ईक्विटी शेयरों को सतत सूचीबद्ध रखने संबंधी सूचीकरण समझौते की शर्तों का बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है. संबद्ध तिथि से छह माह पूर्व की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा बैंक के किसी ईक्विटी शेयर का विक्रय नहीं किया गया है.
- आपके निदेशक उक्त विशेष संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं.
- इस प्रस्ताव में बैंक के किसी निदेशक का कोई सरोकार या हित निहित नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



(एम. वी. नायर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 मार्च, 2011

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Union Bank of India will be held on Tuesday, 29th March, 2011, at 11.00 a.m. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to 3,08,77,100 (Three Crore Eight Lac Seventy Seven Thousand One Hundred) equity shares of ₹.10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹.354.94 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹.1,096 Crore (Rupees One Thousand Ninety Six Crore Only) on preferential basis to Government of India.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **27th February, 2011.**”

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors



(M. V. Nair)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date: 5th March, 2011

NOTES:

1. The Explanatory Statement concerning the agenda item is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Investor Services Division, not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Thursday, 24th March, 2011. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of Union Bank of India (Share and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank, not **less** than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Thursday, 24th March 2011. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on 24th March, 2011 at the above mentioned address.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulation 1998, as amended from time to time.

4. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

a) Objects of the Preferential Issue

In order to achieve a sustainable growth in its assets and for its diversification through Joint Ventures and subsidiaries in the areas of insurance and asset management, need is felt for augmenting capital. The plough back of profits alone would not be adequate to meet the required capital enough to support the envisaged asset growth.

In an initiative to strengthen the capital of the Public Sector Banks, the Govt. of India decided to provide Capital to the Public Sector Banks. The Govt. of India proposes to infuse up to ₹. 1,096 crore (Rupees One Thousand Ninety Six Crore Only) by way of preferential allotment of Equity in favour of the Govt. of India. Subsequent to the preferential allotment of Equity shares, the Bank would attain 8% Tier I CRAR as on 31st March 2011. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) This entire preferential issue will be subscribed by the Government of India – the Promoter of the Bank. The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The issue price so determined is around ₹. 354.94 considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is 27th February, 2011.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 25 th Feb' 2011)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	Promoter's Holding				
1	Promoters				
	Government of India	280000000	55.43	310877100	58.00
	Foreign promoters	-	-	-	-
2	Persons acting in concert	-	-	-	-
	Sub Total	280000000	55.43	310877100	58.00

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 25 th Feb' 2011)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
B	Non–Promoter Holding			225117900	42.00
3	Institutional Investors				
a	Mutual Funds and UTI	42626479	8.44		
b	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions/Non-government Institutions)	18114284	3.59		
c.	FII's	83414635	16.51		
	Sub Total	144155398	28.54		
4	Others				
a	Private Corporate Bodies	33583138	6.65		
b	Indian Public	47199893	9.34		
c	NRI's/OCBs	179471	0.04		
d	Any Others	-	-		
	Sub Total	80962502	16.03		
	Grand Total	505117900	100.00	535995000	100.00

- d. The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e. As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.
- f. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue	28,00,00,000	55.43 %
Post -issue	31,08,77,100	58.00 %

- g. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- h. All the shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.
- i. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- j. All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

Your directors recommend passing of the special resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By order of the Board



(M.V. Nair)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai.

Date: 5th March, 2011.

परोक्षी फार्म (फार्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाय)

पंजीकृत फोलियो :
(यदि डिमैटोरियलाइज न किया गया हो)
डीपी आईडी तथा ग्राहक आईडी क्र.
(यदि डिमैटोरियलाइज किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____
 राज्य _____ शेयरधारक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के शेयरधारकों में हूँ एतद्द्वारा
 श्री / श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
 _____ अथवा उनके न होने पर श्री / श्रीमती _____ निवासी _____
 जिला _____ राज्य _____ को मंगलवार दिनांक 29 मार्च, 2011 को प्रातः 11.00 बजे **रामा वादुमल**
ऑडिटरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण
 सामान्य बैठक में या उसके स्थगित होने पर मेरी/ हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/ करती हूँ.
 दिनांक _____ 2011 को हस्ताक्षरित.

कृपया
रसीदी
टिकट
लगाएं.

परोक्षी का हस्ताक्षर

प्रथम शेयरधारक/ एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने संबंधी अनुदेश :

- परोक्षी का लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि वह ;
 - एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा/उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
 - निगमित निकाय के मामले में इसके अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो. यह नोट किया जाए कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने / उसे परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार देने के संकल्प की प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, संलग्न की जानी चाहिए.
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो वह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत होना चाहिए.
- परोक्षी निम्नलिखित के साथ
 - पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है, अथवा
 - उस पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, असाधारण सामान्य बैठक के चार दिन पूर्व यथा गुरुवार 24 मार्च, 2011 को कार्य समाप्ति पर या उससे पूर्व निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में जमा कर देनी चाहिए.
- परोक्षी का कोई भी लिखत विनियम के फार्म "बी" में न होने और विधिवत् स्टैप्ड न होने पर वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किया जाए.
- परोक्षी के लिखत को निष्पादित करनेवाला शेयरधारक इस लिखत से संबंधित असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder / shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him / her, Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on Tuesday, 29th March 2011 at 11.00 a.m. at **Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011.

Please
Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, 24th March, 2011.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulation
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

प्रधान कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

उपस्थिति पर्ची

(निहित स्थान पर प्रवेश करते समय सौंपी जाए)

मैं एतद्वारा बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ :

दिनांक : मंगलवार, 29 मार्च, 2011.

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : रामा वाटुमल आडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाछा रोड, चर्च गेट, मुंबई - 400 020

शेयरधारक का हस्ताक्षर / उपस्थित परोक्षी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)		डीपी आइडी एवं क्लायंट आइडी(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

प्रधान कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

प्रवेश पत्र

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाय)

शेयरधारक का हस्ताक्षर / उपस्थित परोक्षी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)		डीपी आइडी एवं क्लायंट आइडी(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

शेयरधारकों / शेयरधारकों के परोक्षी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु बैंक के पास दर्ज उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें. तथापि प्रवेश आवश्यकतानुरूप सत्यापन / जांच के अध्वधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Date : Tuesday, 29th March, 2011.

Time : 11.00 a.m.

Place : **Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020.**

Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

बुक - पोस्ट
BOOK - POST

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं :

मेसर्स डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.

यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट क्र. बी-5, पार्ट-बी

क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल

अंधेरी (पूर्व)

मुंबई - 400 093

If undelivered please return to :

M/s. DATAMATICS FINANCIAL SERVICES LTD.

Unit: Union Bank of India

Plot No. B-5, Part – B,

Crosslane, MIDC, Marol,

Andheri (East),

Mumbai – 400 093.